



**अंजुम आरा**  
अध्यक्ष



सर्वोच्च न्यायालय

19

**बिहार सरकार**  
**राज्य महिला आयोग**  
1, साउथ बेली रोड, पटना-1  
E-mail : biharswc@gmail.com  
फोन नं० : 0612-2506480  
मो. : 09430226303  
फैक्स नं० : 0612-2226368

पत्रांक : 1915/15

सामान्य प्रशासन विभाग  
प्राप्ति

दिनांक : 31/7/15

सेवा में,

OSD (HLL)

श्री अशोक कुमार चौधरी, भा(प्र)सं०,

माननीय अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति,

सर्विदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितकरण से संबंधित

(सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार)।

विषय:

सर्विदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की नियमितकरण के संबंध में;

महत्वपूर्ण:

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 30/स्त(म)0/प्र(प्र)0/प्र०

01/2015 मा(प्र) 002 दिनांक 19.05.15 के आलोक में बिहार राज्य महिला आयोग में सर्विदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ भेजा जा रही है।

(1) श्रीमती विनीता कुमारी, आशुटेक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कठिनाई सुधनाएँ :

(1) पदोक्त पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम	आशुटेक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर 01 (पद)
(2) पदोक्त कूल नियोजित कर्मियों एवं कूल कार्यरत कर्मियों की संख्या	आशुटेक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर 01 (पद)
(3) किस योजना / परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी ?	बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 का राज्य सरकार की योजना है।
(4) नियोजन का पद किस श्रेणी का है। (समुह "ग" या "घ")।	आशुटेक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर समुह ("ग")
(5) क्या वह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश / पद सृजन आदेश	पद स्वीकृत था कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 3324 दिनांक 18.11.2001 का प्रति संलग्न है।

80/9TN  
Cam  
10/8  
श्रीमती  
11-8-15

30-694  
10/8/15

\*\*ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।